

स्वतन्त्र न्यायपालिका

नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण
पोष्ठा शृङ्खला
८



प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पहिला संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित वा । सामग्रीके स्रोतके रुपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रहे साभार व्यक्त कैके गैरब्यावसायिक प्रायोजनके लग यी पोष्टाके अंश फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था करे सेकजाई । उ फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था कैलक एकप्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रहे उपलब्ध कराईकपरी ।

साजसज्जा ओ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिड, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।



थप जानकारी वा यी पोष्टाके लग तरक ठेगानामे सम्पर्क कैवी

संवैधानिक केन्द्र

तेसर ओ चौथा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौं

टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

स्वतन्त्र न्यायपालिका

शृङ्खला - ८



स्वतन्त्र न्यायपालिका	१
स्वतन्त्र न्यायपालिका कलक का हो ?	२
संविधानमे स्वतन्त्र न्यायपालिकाके स्थापना कौंसिक हुइठ ?	३
स्वतन्त्र न्यायप्रणालीक स्वरूप कौंसिक तयार हुइठ ?	३
न्यायपालिकाके शक्ति वा अधिकार का का हो ?	४
न्यायपालिकाके आर्थिक (वित्तीय) स्वतन्त्रताहै कौंसिक सुनिश्चित कौंजाइठ ?	५
न्यायपरिषद् कलक का हो ?	५
स्वतन्त्र न्यायपालिकाके सम्बन्धमे संविधानसभ्रा छलफल करेपर्ना विषय का का हो ?	६
नेपालके न्यायिक इतिहास का रहल बा ?	६
संविधानसभ्रामे छलफल करेपर्ना विषय	७

स्वतन्त्र न्यायपालिका

स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक समाजमे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करठ ।

- » यी संविधानके अभिभावक हो ।
- » यी सक्कु नागरिकके कानुन बमोजिमके हकके रक्षक हो ।
- » यी सरकार विना अधिकार कबो कौनो काम करल कना सम्बन्धमे निर्णय करठ ओ गैरकानुनी काम रोककू लाग आदेश डेहे सेकठ ।
- » यी सरकार आपन कामके पालना कैनामे कहिया असफल हुइल कना सम्बन्धमे निर्णय करठ ओ ओकर पालना करेक लाग सरकारहे आदेश डेहे सेकठ ।
- » न्यायपालिका सरकारके निकायबीच हुइलक विवादमे निर्णय डेहठ ।
- » न्यायपालिका नागरिकबीचके विवादमे निष्पक्ष रूपमे निर्णय डेना ओ कानुनी अधिकारके कार्यान्वयन कराइठ ।

सामान्यतः राज्यके संविधानमे स्वतन्त्र न्यायपालिकाके मुख्य तत्व उल्लेख करल रहठ । संविधान न्यायिक शक्ति, कार्य, संरचना, क्षेत्राधिकार ओ न्यायाधीशके नियुक्ति ओ पदमुक्तिके प्रक्रियाहे स्थापित करठ । कुछ तत्व संविधानके घोषणापाछे कानुन अनुसार तय हुइना मेरीक व्यवस्था करल रहठ ।

लोकतन्त्रमे न्यायपालिका खासकैके चारठो मूल्यसे मार्गनिर्देशित हुइपरठ ओ प्रत्येक मूल्य न्यायाधीश ओ समग्र न्यायपालिकाके सन्दर्भमे लागू हुइठ ।

लोकतन्त्रमे न्यायपालिका		
मार्गनिर्देशक मूल्य	न्यायाधीशके लाग	समग्र न्यायपालिकाके लाग
स्वतन्त्रता	कौनो फेन न्यायाधीश प्रत्येक मुद्दाके निर्णय कौनो फेन पक्षहे प्राथमिकता नैडेके ओ विना कौनो डरत्रास कानुन अनुसार किल कैना चाही । यी निर्णयकारी स्वतन्त्रता हो ।	नियुक्ति, पदोन्नति, सरुवा, अनुशासन ओ बजेटसम्बन्धी लगायत न्यायपालिकाके कार्यक्षमतामे प्रभाव पारे सेकना कौनो फेन विषयमे सरकारसे हुइना अनुपयुक्त कदमसे न्यायपालिका संरक्षित हुइपरठ । यी संस्थागत स्वतन्त्रता हो ।
जवाफदेहिता	कौनो फेन न्यायाधीश निज कैलेक निर्णयके सम्बन्धमे खुल्ला अदालतमे निजके प्रस्तुतीमार्फत् ओ निज कैलेक कानुन असम्मत कामेक लाग अनुशासनसम्बन्धी प्रक्रियामार्फत् जवाफदेही रहठ ।	उपरोक्त पक्षमे न्यायपालिकाके प्रभाव रलक खण्डमे न्यायपालिका पूरा पारदर्शी निर्णयमार्फत् जवाफदेही हुइपरठ । ओ सार्वजनिक कोषके उपभोग कैलेक सम्बन्धमे ओकर लाग विधायिकाउपर जवाफदेही हुइपरठ ।

मार्गनिर्देशक मूल्य	न्यायाधीशके लाग	समग्र न्यायपालिकाके लाग
प्रभावकारिता	न्यायाधीशके कर्लक निर्णय ओ अदालतके व्यवस्थापन व्यवसायिक सक्षमताके उच्च मापदण्डके हुइपरठ ।	न्यायाधीशके प्रभावकारितासम्बन्धी पक्ष सरकार नाही कि न्यायाधीश जो सम्बोधन करे परठ ताकि प्रभावकारी न्यायाधीशके किल पदोन्नतिक् लाग विचार करे सेक्जाए ।
सक्षमता	न्यायाधीश करी मेहनत कैना चाही ओ सक्कुजाने आपन काम सक्षमताके साथ सम्पन्न कैना चाही ।	न्यायाधीशलोगन्के सक्षमतासम्बन्धी पक्षमे सरकार नाही कि न्यायाधीश जो सम्बोधन कैना चाही ताकि सक्षम न्यायाधीशके किल पदोन्नतिक् लाग विचार करे सेक्जाए ।

नेपालके न्यायपालिकाके स्थापना करक लाग संविधानसभा विभिन्न पक्षमे ध्यान डेहे पर्ना हुइठ ।

१. स्वतन्त्र न्यायपालिका कलक का हो ?
२. संविधानमे स्वतन्त्र न्यायपालिकाके स्थापना कैसिक हुइठ ?
३. स्वतन्त्र न्याय प्रणालीके स्वरुप कैसिक निर्धारण हुइठ ?
४. स्वतन्त्र न्यायप्रणालीके अधिकार का का हो ?
५. न्यायपालिकाके आर्थिक (वित्तीय) स्वतन्त्रताहे कैसिक सुनिश्चित कैजाइठ ?
६. न्यायपरिषद् कलक का हो ?
७. स्वतन्त्र न्यायपालिकाके सम्बन्धमे संविधानसभा छलफल करेपर्ना विषय का का हो ?
८. नेपालके न्यायिक इतिहास का रहल बा ?

१. स्वतन्त्र न्यायपालिका कलक का हो ?

स्वतन्त्र न्यायपालिका आपन निर्णय कैना सक्षम ओ राजनैतिक दल, सरकारी निकाय ओ अन्य मनैन लगायतके बाह्य प्रभावसे मुक्त एक स्वतन्त्र संस्थाके रूपमे सञ्चालित हुइल रहठ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका कलक सरकारके एकठो अङ्ग फेन हो, जौन अन्य अङ्ग - कार्यकारिणी ओ विधायिका - से स्वतन्त्र रूपमे सञ्चालित हुइल रहठ । यी स्वतन्त्रताले यी तीन अङ्गबीचके प्रभावकारी शक्ति सन्तुलनहे प्रवर्द्धन करठ । संविधान प्रत्येक अङ्गके भूमिका ओ जिम्मेवारीक् स्पष्ट व्यवस्था कैके यी स्वतन्त्रताहे सुनिश्चित कैना सहयोग पुगाइठ ।

निष्पक्ष न्याय प्रणालीके स्थापनासे न्यायपालिकाउपर राजनैतिक प्रभाव कम कैना सरकारके अभिप्रायहे नागरिकके ठेन प्रस्तुत करठ । कौनो राजनैतिक दल वा विचारधाराउपर जवाफदेही हुइनाके सटहा न्यायपालिका संविधान ओ कानुनमार्फत् जनतन्त्रप्रति जवाफदेही रहठ ।

२. संविधानमे स्वतन्त्र न्यायपालिकाके स्थापना कैसिक हुइठ ?

संविधान कौनो व्यक्तिउपर सरकारके शक्तिहे सीमित पारेक मदत करठ ।

न्यायपालिका संविधान ओ कानूनके अन्तिम व्याख्याता हो । सककु सरकारी निकाय न्यायपालिकाके निर्णय माने पर्ना हुइठ । यी निर्णय ओ व्याख्या भविष्यक लाग नजीर ओ उदाहरण बनठ ।

संविधान संस्थागत ओ निर्णयकारी स्वतन्त्रता हुइलक न्यायपालिकाके सिर्जना कैना चाही । संस्थागत स्वतन्त्रता न्यायपालिकाहे अन्य क्षेत्रके प्रभावसे मुक्त रहके आपन प्रशासन सञ्चालन कैना सक्षम बनाइठ । उदाहरणके लाग, संस्थागत रूपमे स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायाधीशन्के नियुक्ति ओ अनुशासन, न्यायसेवाके पारिश्रमिक, बजेट ओ न्यायाधीशके कार्यसम्पादनके समीक्षा राजनैतिक रूपमे तटस्थ होके करठ । न्यायपरिषदमार्फत् न्यायाधीश स्वयमहे यीमध्ये धेर अधिकार डेके ऊ काम करे सेक्जाइठ ।

संस्थागत स्वतन्त्रता निर्णयकारी स्वतन्त्रताहे बढ़ावा डेहठ । निर्णयकारी स्वतन्त्रता कलेक न्यायपालिका वाट्य क्षेत्रके दबाव ओ प्रभावसे मुक्त रहके संविधान ओ देशके प्रचलित कानूनमे किल आधारित रहके आपन निर्णय कैना हो ।

संविधान अन्य सरकारी निकायन्संगे न्यायपालिकाके सम्बन्धहे फेन परिभाषित कैना चाही ओ सरकारके अन्य निकायसे यकर (न्यायपालिकाके) अधिकारउपर अनुचित रूपमे प्रभाव पारे नैसेक्जाइठ कना समेत प्रष्ट पर्ना चाही । ऐसन संस्थागत स्वतन्त्रता हासिल कैनामे न्याय परिषद् (कृपया बुँदानं ६ हेरवी १) मदत करेसेकठ ।

३. स्वतन्त्र न्यायप्रणालीक स्वरूप कैसिक तयाठ हुइठ ?

स्वतन्त्र न्यायप्रणालीके विकाससम्बन्धी नागरिकके आवश्यकताहे ध्यान डेटी, नागरिकके सरोकारहे सर्वोत्तम रूपमे सम्बोधन कैना न्यायपालिकाके विकास कैना राज्य सक्षम बटाँ । संविधान सामान्यतया नागरिकन्के अधिकार सर्वोत्कृष्ट रूपमे संरक्षण कैना मेरके न्यायपालिकाके संरचना निर्धारण कैले रहठ । संविधानभितर अदालती प्रणालीक संरचनाके खाका तयार कैके राज्य न्यायिक स्वतन्त्रताहे सुदृढ बनाइक मदत करठ । संविधान स्व-प्रशासनके महत्वपूर्ण तत्व हुइलक न्यायपालिकाके सिर्जना करेसेकठ ।

सङ्घीय संविधान सककु अदालत स्थापना करेसेकठ वा तरेक अदालतके स्थापना कैना काम पाछे, कैना मेरके विधायिकाहे सौपके सामान्यतः सर्वोच्च अदालतके किल स्थापना करेसेकठ । उदाहरणके लाग, दक्षिण अफ्रिकाके संविधान धेर संख्यामे अदालतके सूची बनैले रहे कलेसे स्लोभाकियाके संविधान सर्वोच्च अदालतके किल स्थापना कैके बाँकी अन्य अदालतके स्थापना कानूनसे पाछे, कैना कैहके व्यवस्था कैले रहे । संसदहे आवश्यकताअनुसार तरक अदालत सिर्जाइक टन डेलक अधिकारके

व्यवस्था जनसाधारणहे सम्भव हुइटसम न्यायमे उत्कृष्ट पहुँचके लाग बदली अवस्था ग्रहण कैनामे लचकता प्रदान करठ ।

संविधान सामान्यतः संवैधानिक अदालत वा सर्वोच्च अदालत वा दुनुक स्थापना करठ । संवैधानिक अदालत स्वभावतः संवैधानिक विषयवस्तुमे क्षेत्राधिकार ढारठ । संवैधानिक व्याख्याहे एकठो किल अदालतमे केन्द्रीकृत करेवेर संविधानके स्थिर वा अटल व्याख्या कायम रहठ । अन्य मुद्दामे सर्वोच्च अदालत ओ तरक अदालतके क्षेत्राधिकार रहठ । संवैधानिक अदालत नैहुइलक राज्यमे संवैधानिक विषयवस्तु लगायत सक्कु मुद्दामे सर्वोच्च अदालत ओ तरक तहके अदालतके क्षेत्राधिकार कायम रहठ ।

संविधान उच्च अदालतबाहेकके अन्य अदालतके फेन व्यवस्था करेसेकठ । संविधान उ अदालत जस्ते कि प्रशासकीय, न्यायाधिकरण ओ फौजदारी आदिके आवश्यकता अनुसार स्थापना करेक लाग विधायिकाहे अधिकार प्रदान करेसेकठ । नागरिकके सवालके सम्बोधन कैना क्षमताके साथ स्थापित अदालतके बढ्ठी संख्याले नागरिकहे न्यायमे व्यापक रूपमे पहुँच लेहुवाइठ । राज्य द्वन्द्वोत्तरके संक्रमणमे रलक बखतमे न्यायमे बढ्ठी ओ सुदृढ पहुँचले समग्र राष्ट्रके एकताहे सुदृढ कैनामे योगदान पुगाइठ । न्यायप्रणालीमे जनतन्के पहुँचले सरकारी संरचना ओ कामेम जनतन्के विश्वास बढाइठ ओ राज्यहे स्थिर बनैनामे फेन मदत पुगाइठ ।

संविधान न्यायप्रणाली एकात्मक वा द्वैध (दोहोरो) अदालती प्रणालीमध्ये कैसिन हुइना कना विषयमे फेन उल्लेख कैल रहठ । एकात्मक प्रणालीमे एकठो अदालती व्यवस्था रहठ ओ यी सक्कु मुद्दाके फैसला करठ । यी प्रणाली कम खर्चहा ओ सहजिले व्यवस्थापन करे सेकजैना रहठ मने यम्ने सङ्घीय वा प्रान्तीय मुद्दाके सम्बोधन कैना भर करी रहठ । दोहोरो प्रणाली खास कैके सङ्घीय व्यवस्थम प्रयोगमे लान्जाइठ, का करे कि यी उप-राष्ट्रिय एकाइहे स्थानीय विवादके समाधान कैना क्षमता प्रदान करठ ।

४. न्यायपालिकाके शक्ति वा अधिकार का का हो ?

न्यायपालिकाके शक्ति वा अधिकारके निर्धारण करेवेर उ अधिकार संस्थागत ओ निर्णयकारी स्वतन्त्रतामे कैसिक प्रभाव पारठ कना बात संविधानमे उल्लेख कैना महत्वपूर्ण रहठ । यी स्वतन्त्रता अदालती प्रणालीहे जवाफदेही, प्रभावकारी ओ सक्षम बनाइक लाग महत्वपूर्ण रहठ ।

संविधान खास कैके न्यायपालिकाके शक्ति वा अधिकारके खाका निर्धारण कैले रहठ । यी राज्यभितर न्यायपालिकाके मार्गनिर्देशक सिद्धान्तके स्थापना कैना सहयोग पुगैले रहठ । संविधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाहे मेरमरीक विषयमे जिम्मेवार बनैले रहठ । स्वतन्त्र न्यायपालिका खास कैके संविधानके संरक्षण कैनामे जिम्मेवार हुइल रहठ । ओस्टक सन्तुलित ओ क्रियाशील कानुनी प्रणालीके प्रवर्द्धनमे स्वतन्त्र न्यायपालिका खास कैके जिम्मेवार रहठ । महत्वपूर्ण रूपमे, स्वतन्त्र न्यायपालिका जनतन्के अधिकार ओ आकांक्षाके संरक्षण कैना चाही । संविधानमे न्यायपालिकाके अधिकारके रूपरेखा प्रस्तुत कैसेकलकवाद, राज्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाके प्रवर्द्धन ओ सरकारउपर जनतन्के विश्वास बनैटी जनतन्के आकांक्षाहे न्यायपालिकाके सामुन्ने ढैडेले रहठ ।

५. न्यायपालिकाके आर्थिक (वित्तीय) स्वतन्त्रताहे कैसिक सुनिश्चित कैजाइठ ?

न्यायिक निर्णयसे असन्तुष्ट हुइलेक राजनीतिज्ञलोग न्यायपालिकाके बजेट कटौती कैना प्रयास कैना सामान्य बात हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाके स्थापना कैनामे आर्थिक स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुइल रहठ । न्यायपालिकाके आर्थिक स्वतन्त्रता सामान्यतया: संविधानमे जो प्रत्याभूत कैल रहठ ।

राज्यके वार्षिक बजेटमे निश्चित प्रतिशत न्यायपालिकाके लाग विनियोजन कैल रहठ । वा, न्यायपालिकाके बजेटहे परिवर्तन वा परिमार्जन कैना सरकारके क्षमताहे संविधान सीमित कैडेहे सेकठ । उदाहरणके लाग, न्यायपालिकाके बजेट कटौतीहे रोकना व्यवस्था संविधानमे धारे सेकठ ।

न्यायपालिकाके बजेटके तर्जुमा वा समीक्षा सामान्यतया: कम्तीमे दुईठो सरकारी निकाय कैना काम कठा । यी बजेट बनैना प्रक्रियामे राजनैतिक प्रभावहे निरूत्साहित ओ पारदर्शिताहे प्रोत्साहित कैनामे मदत पुगाइठ । अन्य निकायके सहकार्यम् बजेट बनैना जिम्मेवारी खास कैके कार्यकारी वा न्यायिक निकायमे रहठ । विधायिकाके जिम्मेवारी भर खास कैके न्यायिक बजेटके समीक्षा कैना रहठ । न्यायिक स्वतन्त्रताके संरक्षण कैना ओ राजनैतिक प्रभावहे रोकक लाग राज्यके सर्वोच्च अदालतहे भर आपन बजेट तर्जुमा ओ कार्यान्वयन कैना अधिकार डे गैल रहठ । न्यायपरिषद् (कृपया तरक बुँदा ६ मे हेरबी 1) फेन बजेट तर्जुमा कैना काम सुम्पले रहठ ।

६. न्यायपरिषद् कलक का हो ?

संविधान खास कैके न्यायाधीशन्के छनौट कैसिक कैजाइठ कना बातके उल्लेख करठ । न्यायाधीशन्के छनौटके लाग मेरमेरीक तरिका रहठ । न्यायाधीशन्के छनौट राष्ट्रपति करे सेकठ । न्यायाधीशन्के छनौट संसद फेन करे सेकठ । कबोकाल्ह न्यायाधीश जनतन्से निर्वाचित हुइठाँ । अन्तमे, कुछ राज्य न्याय परिषद्हे न्यायाधीशन्के छनौट कैना प्रयोग कैले रठाँ ।

न्यायपरिषद् एक स्वतन्त्र संस्था हो । ओ, यी न्यायपालिकाके स्वतन्त्रताहे कायम रखना मदत पुगाइठ । न्यायपरिषद् न्यायपालिकासम्बन्धी नियम ओ प्रशासनहे व्यवस्थित कैना काम करठ । न्यायपरिषद् न्यायपालिकाके संस्थागत स्वतन्त्रता स्थापना कैनामे सघाउ पुगाइठ ।

न्यायाधीश, कानून व्यवसायीसे व्यापारीलोग ओ सरकारी अधिकारीन्के हस मेरमेरीक पृष्ठभूमिक व्यक्तित्वन्के समिश्रणमे न्यायपरिषद् बनल रहठ । यी सदस्य न्यायपरिषद्मे निर्वाचित हुइलक, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकासे नियुक्त हुइलक वा निर्वाचित ओ मनोनित सदस्यन्के रूपमे फेन रहे सेकठाँ । राज्य, न्यायपालिकाके स्वतन्त्रताहे सुनिश्चित करेक लाग न्यायपरिषद्मे सदस्यन्के नियुक्तिक लाग न्यायाधीशन्बीच मतदान कैना व्यवस्था कैले रहठ । सामान्यतः प्रधान न्यायाधीश वा उच्च अदालतके अध्यक्ष न्यायपरिषद्के सदस्य रहठाँ ।

न्यायपरिषद्के काम, कर्तव्य ओ अधिकार विशेषकैके न्यायाधीशन्के छनौट ओ मूल्याङ्कनके कामेम् पारदर्शिताके प्रवर्द्धन कैना मेरके व्यवस्था कैल रहठ। न्यायपरिषद् सामान्यतः क्षमता ओ योग्यताअनुसार न्यायाधीशन्के नियुक्त वा सिफारिश करठ। न्यायपरिषद् कैना आउर कामेम् प्रशासकीय काम, न्यायपालिकाके दैनिक सञ्चालन, सदस्यन्के आचारके नियमन कैना, न्यायपालिकाके वार्षिक बजेट तयार पर्ना ओ न्यायाधीश ओ न्यायसेवाके कर्मचारीन्हे तालिमके व्यवस्था कैना आदि परठ।

७. स्वतन्त्र न्यायपालिकाके अखण्डमे संविधानसभा छलफल कटेपर्ना विषय का का हो ?

स्वतन्त्र न्यायपालिकाके स्थापना करेक लाग उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था कैना संविधानसभा मेरमेरीक विषयहे विशेष ध्यान डेहेपर्ना रहठ।

- » का स्वतन्त्र न्यायपरिषद् हुइना जरूरी बा ? यकर अधिकार का का रही ? यकर स्वतन्त्रता कसिक सुनिश्चित हुई ?
- » न्यायपालिकामे कौन कौन तह रही ?
- » न्याय प्रणाली एकात्मक वा द्वैध कौन हुइना चाही ?
- » न्यायपालिकाके अधिकार का का हुइना चाही ?
- » न्यायाधीशन्के योग्यता का कैसिन हुइना चाही ?
- » राष्ट्रिय ओ प्रान्तीय तहमे न्यायाधीशन्के नियुक्ति कैसिक हुइना चाही ?
- » न्यायाधीशन्के आचरणके अनुगमन कैसिक कै जैना चाही ?
- » न्यायाधीशन्के भूमिका, जिम्मेवारी ओ पदावधि का कैसिन हुइना चाही ?
- » कौनो न्यायाधीशहे कैसिक पदमुक्त करे सेकजाई ?
- » अदालतमे जनतन्के पहुँचहे कैसिक वृद्धि करे सेकजाई ?
- » अदालतमे जनतन्के पहुँचहे कैसिक सजिल बनाइ सेकजाई ?
- » प्रत्येक तहके अदालतके अधिकार का का हुइ परी ?
- » सङ्घीय अदालत, प्रान्तीय अदालतसे कैसिक अन्तरक्रिया करी ?
- » अदालतहे आर्थिक स्रोत कैसिक प्राप्त हुइहिस ?
- » मौलिक ओ मानव अधिकारके संरक्षणमे तरक तहके अदालतके भूमिका का कैसिन हुइक चाही ?
- » समाजके कमजोर ओ उपेक्षित समूहके पहुँचहे सुनिश्चित करेक लाग का कैसिन उपाय अवलम्बन कै जैना चाही ?
- » का छुट्टे संवैधानिक अदालतके गठन हुइपरि यि जरूरी बा ?

८. नेपालके न्यायिक इतिहास का उहल छा ?

२००७ सालसे आगे नेपालके कार्यकारी, व्यवस्थापिकी ओ न्यायिक शक्ति अक्केजने व्यक्ति - राणा शासक - मे किल निहित रहे। नेपालके पहिला संविधान - नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ मे

न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था कै गैल रहे । मने यी संविधान न्यायपालिकाके अधिकारके सम्बन्धमे भर कुछ उल्लेख नै कैले रहे । ओकर पाछेक संविधान, नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मे फेन अस्टे कमजोरी कायम रहल । यी संविधानमे प्रधान न्यायालयके स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था रहे । टबोपर, यी संविधान प्रधान न्यायालयके काम ओ अधिकारके सम्बन्धमे कुछ उल्लेख नैकैले कलेसे अन्य तहके अदालतके सम्बन्धमे फेन कुछ उल्लेख नैकैले रहे । बेन, अन्य अदालतके सम्बन्धमे आवश्यक व्यवस्था कैना काम ओ अधिकार विधायिकाहे डेले रहे ।

२०१५ सालके संविधानमे शक्ति पृथकीकरणके सिद्धान्तके विभिन्न तत्वहे समावेश कैगैल, ओ कार्यकारी ओ विधायकी अङ्गके क्रियाकलापके न्यायिक पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था कैगैल । टबोपर यीमध्ये कौनो प्रावधान कार्यान्वयन वा प्रभावकारी हुइल नैहुइल सम्बन्धमे भर अस्पष्टता रहबेकरल ।

२०१७ सालमे पञ्चायती व्यवस्था लागु कैके राजनैतिक दलउपर प्रतिबन्ध लगागैल । यी राजनैतिक व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन, बहुलवाद, ओ विधिके शासनके आधारभूत मूल्य ओ मान्यताहे समेत अस्वीकार करल । सक्कु शक्ति ओ अधिकार राजामे निहित रहल । यी व्यवस्थामे शक्ति पृथकीकरणके अस्तित्व नैरहल । सर्वोच्च अदालतके सर्वोच्चता स्थापित नैहुइल रहे । अदालतके न्यायिक पुनरावलोकनके अधिकारहे सीमित पारगैल रहे ।

२०४७ सालके संविधान देशके इतिहासमे पहिला फेरा शक्तिशाली न्यायपालिकाके सिर्जना करल । यी संविधान सर्वोच्च अदालतहे संविधानके अन्तिम व्याख्याता ओ मौलिक अधिकारके रक्षकके रूपमे प्रस्तुत करल । न्यायिक स्वतन्त्रताके संरक्षण करेक लागु सर्वोच्च अदालतके न्यायाधीशान्हे विधायका-संसदमे महाभियोगके प्रक्रियासे किल पदमुक्त करे सेकजैना व्यवस्था कैगैल । ओस्टक, न्यायाधीशान्हे नियुक्ति, सरूवा ओ पदोन्नतिके सिफारिश करेक टन न्यायपरिषदके गठनके लागु सवैधानिक व्यवस्था कैगैल । जिल्ला, पुनरावलोकन ओ सर्वोच्च अदालत रहना मेरके तीन तहके अदालती व्यवस्था सिर्जा गैल । संविधान सर्वोच्च अदालतहे पूरा न्याय निरूपणके लागु कौनोफेन आदेश जारी करेसेकना मेरके असाधारण अधिकार फेन प्रदान कैल । हालके नेपालके अन्तरिम संविधान अन्तर्गतके अदालती प्रणाली २०४७ सालके संविधानमे हुइलक व्यवस्थाहस वा ।

संविधानसभामे छलफल कटेपर्ना विषय

संविधानसभा स्वतन्त्र न्यायपालिकाके प्रारूप तयार करेबेर ध्यान डेहेसेकना कुछ विकल्प यी मेरके बा:

विकल्प	सबल पक्ष	चुनौती
न्यायपालिकाके व्यवस्थापन न्यायपरिषद् कैना	» न्यायाधीश राजनैतिक वा अन्य प्रभावसे मुक्त वा संरक्षित रहके सुनिश्चित करे मदत पुगाइठ ।	» यदि न्यायपालिकाके व्यवस्थापन मुख्य रूपमे न्यायाधीश कैना हो कलेसे ओइने थप स्रोत उपलब्ध हुइपरठ ओ ओइने अब्बेसे फरक रूपमे जवाफदेही हुइना चाही ।

विकल्प	सबल पक्ष	चुनौती
न्यायपालिकाके व्यवस्थापन कार्यकारी कैना	» कुछ व्यक्ति निर्वाचित राजनीतिकर्मीहे ठोठार नियन्त्रणके अधिकार डेके न्यायिक जवाफदेहिताहे सुनिश्चित करेक टन मदत पुगाइठ कना धारणा रखाँ ।	» ऐसिक राजनीतिकर्मीनहे न्यायाधीशनके सरूवा, बहुवा, अनुशासन ओ अन्य पक्षउपरके नियन्त्रणमार्फत् न्यायपालिकाहे प्रभावमे पर्ना सजिल हुइठ ।
एकात्मक न्याय प्रणाली (सङ्घ ओ प्रान्तके एकात्मक न्यायालय)	» यी व्यवस्थापन कैना सजिल रहठ । » यी कम खर्चहा रहठ । » क्षेत्राधिकारसम्बन्धी धेर विवाद नैहुइठ । » अदालतके निर्णय कार्यान्वयन कैना सजिल हुइठ ।	» प्रादेशिक मुद्दाके सम्बोधन पर्याप्त मात्रामे नैहुइ सेकठ । » यी व्यवस्था सङ्घीय प्रणालीक लाग खासे उपयुक्त नैहुइ सेकठ । » जटिल संवैधानिक विवादके निरूपणके लाग यी उपयुक्त नैहुइ सेकठ ।
द्वैध न्यायपालिका (सङ्घ ओ प्रान्तके छुट्टेछुट्टे न्यायपालिका)	» सङ्घीय ओ प्रान्तीय अदालतके अधिकार स्पष्ट रूपमे बाँट गैल रहठ । » गम्भीर संवैधानिक विवाद उचित रूपमे निरूपण हुइसेकठ । » सङ्घीय प्रणालीहे सुदृढ बनाइकटन यी प्रभावकारी भूमिका खेले सेकठ ।	» खर्चहा । » जटिल । » अधिकारके बाँटवारामे कर्ना । » अधिकार क्षेत्रके विभाजनमे विवाद » अदालतके तह ओ क्षेत्राधिकारमे वृद्धि हुइनाके कारण न्याय सम्पादनमे ढिलाई हुइसेकना ।
छुट्टे संवैधानिक अदालत	» संवैधानिक विषयके न्यायिक समाधान सजिले मिले सेकठ । » संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित कैना सजिल हुइठ । » राज्यक निकायहे संविधानके क्षेत्रभित्तर् ढैना सजिल हुइठ । » सङ्घीय व्यवस्था चलैना सजिल हुइठ ।	» कार्यान्वयन कैना सम्बन्धमे यी खर्चहा हुइ सेकठ । » क्षेत्राधिकारके विषयमे अन्य अदालतसे विवाद उठे सेकठ । » यी जटिल हुइ सेकठ ।
साधारण वा संवैधानिक विवादके सुनुवाइक लाग एकल न्यायालय	» यी कम खर्चहा रहठ । » यी प्रणालीसम्बन्धी नेपालके लम्मा अनुभव वा । » कम जटिल ।	» संवैधानिक विषय धेर महत्व नैपाइ सेकठ । » जटिल संवैधानिक विषयसम्बन्धी निर्णय धेर (यथेष्ट) ज्ञान विना जो हुइ सेकठ । » संविधानके उचित व्याख्याके अनुपस्थितिमे संवैधानिक विकासके प्रक्रियामे बाधा पुगे सेकठ ।

पोष्टक-शृङ्खलाक धाटेम

संविधानसभक सदस्य ओ इच्छुक सर्वसाधारणहे संविधान निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत जानकारी उपलब्ध करैना जो यी पोष्टा-शृङ्खलाके उद्देश्य हुइस । यी प्रकाशन संवैधानिक परिणामबारे कौनो फेन मेरसे पूर्वानुमान कैना अवधारणापत्र वा प्रस्ताव वा मनसाय नै हो । यी शृङ्खला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) के 'नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माणके लग सहयोग' (एसपीसीवीएन) परियोजनाके समन्वयमे नेपाली ओ अन्तर्राष्ट्रिय संविधानविदन्के सामूहिक प्रयासके प्रतिफल हो ।

यी पोष्टाहे अभिन परिस्कृत बनाइक लग प्रतिक्रिया ओ टिप्पणीके लग विशेष अनुरोध बा । धेर से धेर सुसूचित, प्रतिबद्ध ओ रचनात्मक छलफलहे प्रोत्साहित कर्ना यी प्रकाशन सफल हुइलेसे किल अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुई । मित्तक टिप्पणीके आधारमे यी पोष्टाके लावा ओ फादिल संस्करण तयार करे सेकजाई ।

यी शृङ्खलाहे नेपालके कुछ मुख्य राष्ट्रभाषामे उल्था कैना क्रममे उच्च गुणस्तर कायम कैना ओ सम्बन्धित भाषक बहुसंख्यक मनै बुझना सही शब्द प्रयोग कैना हरसम्भव प्रयास कै गैल बा । शब्दावलीके उपयुक्त ओ सही प्रयोगबारे मेरमेरके भाषिक समुदायन्के विच भविष्यमे छलफल ओ बहस हुइना अपेक्षा करे सेकजाई । संवैधानिक संवाद केन्द्रके उद्देश्य ओइसिन बहसहे कौनो फेन मेरके छाँहीम नै पर्ना कि उ भाषाहे फेन समावेश कैके यी प्रयासमे समावेश कैके ओ पहुँचके अधिकतम वृद्धि कैना हो ।

देशमे संविधान निर्माणसँगे सान्दर्भिक विषयवस्तुबारेम संवैधानिक संवाद केन्द्रक तयार करे जैटी रलक शृङ्खलाबद्ध पाठ्यसामग्रीके एकठो अंश यी पोष्ठा हो ।

सभासदन्से लेके यी विषयवस्तुमे चासो हैना सर्वसाधारणहे प्रमुख संवैधानिक अवधारणा ओ मुद्दामे सामिल करैना यी शृङ्खलाबद्ध प्रकाशनके उद्देश्य हो । शृङ्खला अन्तरगतके प्रत्येक पोष्ठा नेपालमे बोल्ना मुख्य भाषा (नेपाली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामाङ, नेवार) ओ अंग्रेजी भाषामे उपलब्ध बा । यी पाठ्यसामग्रीक श्रव्य संस्करण (क्यासेट, डीभीडी) फेन उपलब्ध बा ओ इहीहे अनलाइनमे फेन है गैल बा ।

पहिला चरणमे यी प्रकाशन शृङ्खलामे समेटगैल विषयवस्तु यी मेरके बा : राज्य ओ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधानमे मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिन्के अधिकार, अल्पसंख्यकके अधिकार, सरकारके प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता ओ सामाजिक समावेशीकरण ओ सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसर ओ चौथा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौं

टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६ / ४७८५४८६ / ४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

